वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1993.55	1.60	1995.15	3599.19	9.68	3608.87	4981.60	509.67	5491.27	5430.56	709.67	6140.23
वसूलियां	*-4.35*	*...*	-4.35	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**1989.20**	**1.60**	**1990.80**	**3599.19**	**9.68**	**3608.87**	**4981.60**	**509.67**	**5491.27**	**5430.56**	**709.67**	**6140.23**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	67.66	...	67.66	90.00	...	90.00	95.00	...	95.00	99.00	...	99.00
2. बौद्धिक संपदा												
2.01 बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	74.21	1.60	75.81	74.11	1.67	75.78	95.46	1.67	97.13	83.53	1.67	85.20
2.02 बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	4.51	...	4.51	7.09	8.00	15.09	7.62	8.00	15.62	15.95	8.00	23.95
2.03 पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक	51.41	...	51.41	52.01	...	52.01	65.31	...	65.31	70.00	...	70.00
2.04 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान	1.52	...	1.52	2.03	...	2.03	2.03	...	2.03	2.65	...	2.65
2.05 अर्ध-चालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2.06 अर्ध-चालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन बोर्ड	...	...	...	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
2.07 बौद्धिक संपदा प्रबंधन संवर्धन प्रकोष्ठ	...	...	...	10.99	...	10.99	4.50	...	4.50	7.00	...	7.00
2.08 कॉपीराइट कार्यालय	1.76	...	1.76	3.65	...	3.65	8.70	...	8.70	4.10	...	4.10
2.09 कॉपीराइट बोर्ड	4.07	...	4.07	3.35	...	3.35	1.61	...	1.61	...	...	...
2.10 कॉपीराइट और आईपीआर का संवर्धन	4.32	...	4.32	6.00	...	6.00	4.00	...	4.00	8.00	...	8.00
जोड़- बौद्धिक संपदा	*141.80*	*1.60*	*143.40*	*160.33*	*9.67*	*170.00*	*190.33*	*9.67*	*200.00*	*192.33*	*9.67*	*202.00*
3. संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय												
3.01 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन	44.96	...	44.96	45.00	...	45.00	69.81	...	69.81	83.70	...	83.70
3.02 नमक आयुक्त	31.05	...	31.05	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00
3.03 प्रशुल्क आयोग	7.01	...	7.01	6.94	...	6.94	6.94	...	6.94	8.00	...	8.00
3.04 वांयलर सर्वेक्षण	0.16	...	0.16	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30
जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय	*83.18*	*...*	*83.18*	*82.19*	*...*	*82.19*	*107.00*	*...*	*107.00*	*127.00*	*...*	*127.00*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**292.64**	**1.60**	**294.24**	**332.52**	**9.67**	**342.19**	**392.33**	**9.67**	**402.00**	**418.33**	**9.67**	**428.00**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)	400.00	...	400.00	500.00	...	500.00	275.00	...	275.00	500.00	...	500.00
5. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम	130.26	...	130.26	200.00	...	200.00	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00
6. मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े	4.89	...	4.89	6.50	...	6.50	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर												
7. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एन आई सी डी आई टी)	499.86	...	499.86	1031.79	...	1031.79	797.00	...	797.00	1097.00	...	1097.00
8. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
9. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास प्राधिकरण	1.50	...	1.50	10.00	...	10.00	...	...	...	...	...	...
10. प्रदर्शनी-सह-सममेलन केन्द्र, द्वारका	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	499.99	500.00	0.01	699.99	700.00
जोड़-राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर	**504.36**	**...**	**504.36**	**1044.80**	**...**	**1044.80**	**800.01**	**499.99**	**1300.00**	**1100.01**	**699.99**	**1800.00**
मेक इन इंडिया												
11. निवेश संवर्धन हेतु योजना	163.78	...	163.78	272.48	...	272.48	145.48	...	145.48	253.48	...	253.48
12. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम	0.25	...	0.25	9.00	...	9.00	6.27	...	6.27	9.23	...	9.23
13. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ई-बिज परियोजना)	6.47	...	6.47	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
14. निधियों का कोष	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
15. क्रेडिट गारंटी निधि	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
16. स्टार्ट-अप इंडिया	...	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
17. व्यवसाय करने में आसानी	...	...	...	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
जोड़-मेक इन इंडिया	**170.50**	**...**	**170.50**	**299.99**	**0.01**	**300.00**	**170.26**	**0.01**	**170.27**	**281.22**	**0.01**	**281.23**
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास												
18. पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संर्वधन नीति (एनईआईपीपी)	170.00	...	170.00	600.00	...	600.00	783.00	...	783.00	528.00	...	528.00
19. परिवहन/ माल परिवहन राजसहायता योजना	70.00	...	70.00	293.71	...	293.71	600.00	...	600.00	400.00	...	400.00
20. विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	24.98	...	24.98	60.00	...	60.00	114.00	...	114.00	145.00	...	145.00
21. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्यौगिक इकाइयों को ब्याज राजसहायता	...	...	...	100.00	...	100.00	...	...	...	100.00	...	100.00
जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	**264.98**	**...**	**264.98**	**1053.71**	**...**	**1053.71**	**1497.00**	**...**	**1497.00**	**1173.00**	**...**	**1173.00**
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी	...	...	...	...	...	...	1440.00	...	1440.00	1500.00	...	1500.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**1474.99**	**...**	**1474.99**	**3105.00**	**0.01**	**3105.01**	**4289.27**	**500.00**	**4789.27**	**4762.23**	**700.00**	**5462.23**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
23. स्वायत्त संगठन												
23.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता	160.00	...	160.00	95.00	...	95.00	225.34	...	225.34	178.16	...	178.16

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
23.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65
23.03 एशिया उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	17.07	...	17.07	14.35	...	14.35	14.35	...	14.35	14.35	...	14.35
23.04 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	48.20	...	48.20	51.66	...	51.66	59.66	...	59.66	56.84	...	56.84
23.05 अन्य स्कीमें	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़- स्वायत्त संगठन	*225.92*	*...*	*225.92*	*161.67*	*...*	*161.67*	*300.00*	*...*	*300.00*	*250.00*	*...*	*250.00*
अन्य												
24. वास्तविक वसूली	-4.35	...	-4.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**221.57**	**...**	**221.57**	**161.67**	**...**	**161.67**	**300.00**	**...**	**300.00**	**250.00**	**...**	**250.00**
कुल जोड़	***1989.20***	***1.60***	***1990.80***	***3599.19***	***9.68***	***3608.87***	***4981.60***	***509.67***	***5491.27***	***5430.56***	***709.67***	***6140.23***
ख. योजना परिव्यय												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	44.96	...	44.96	45.00	...	45.00	69.81	...	69.81	83.70	...	83.70
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	1.60	1.60	...	9.67	9.67	...	9.67	9.67	...	9.67	9.67
जोड़-सामान्य सेवाएं	**44.96**	**1.60**	**46.56**	**45.00**	**9.67**	**54.67**	**69.81**	**9.67**	**79.48**	**83.70**	**9.67**	**93.37**
आर्थिक सेवाएं												
3. उद्योग	970.64	...	970.64	1190.29	...	1190.29	867.40	...	867.40	1261.97	...	1261.97
4. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	768.75	...	768.75	1209.84	...	1209.84	2215.05	...	2215.05	2705.05	...	2705.05
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	67.66	...	67.66	90.00	...	90.00	95.00	...	95.00	99.00	...	99.00
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	137.19	...	137.19	154.79	...	154.79	191.78	...	191.78	192.08	...	192.08
7. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	500.00	500.00	...	700.00	700.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**1944.24**	**...**	**1944.24**	**2644.92**	**0.01**	**2644.93**	**3369.23**	**500.00**	**3869.23**	**4258.10**	**700.00**	**4958.10**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	909.27	...	909.27	1542.56	...	1542.56	1088.76	...	1088.76
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**909.27**	**...**	**909.27**	**1542.56**	**...**	**1542.56**	**1088.76**	**...**	**1088.76**
कुल जोड़	**1989.20**	**1.60**	**1990.80**	**3599.19**	**9.68**	**3608.87**	**4981.60**	**509.67**	**5491.27**	**5430.56**	**709.67**	**6140.23**

1. **सचिवालय:** औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2.01. **बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान पैटेन्ट कार्यालय, व्यापार चिह्न पंजीकरण, डिजाइन कार्यालय और भौगोलिक संकेतक पंजीकरण के आधुनिकीकरण की योजना के लिए है। इसमें अवसंरचना बनाने का प्रावधान भी शामिल है।

2.02. **बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड का सुदृढ़ीकरण:** इसे पैटेन्ट नियंत्रक, तथा व्यापार चिह्न और भौगोलिक पंजीयक के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने के लिए स्थापित किया गया। आईपीएबी उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित करता है। बजट में बोर्ड के वेतन और अन्य संस्थापन संबंधी व्यय की आवश्यकता के लिए प्रावधान है।

2.03. **पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक:** यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकार, अर्थात पैटेन्ट अधिनियम, 1970 डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक सूचक अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा सेमीकंडक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

2.04. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान:** बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान करने का प्रबंध करता है।

2.07. **बौद्धिक संपदा प्रबंधन संवर्धन प्रकोष्ठ:** बौधिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया गया है। सीआईपीएएम आईपीआरएस से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देकर कार्य करना सुनिश्चित करने और आईपीआर नीति के सात उद्देश्यों को हासिल करना सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावसायिक निकाय है। सीआईपीएम आईपीआर जागरूकता बढ़ाने, भारत में वाणिज्यीकरण और प्रवर्तन के लिए कदम उठा रहा है। यह आईपी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और दुरुस्त करने में सहायता करने के अतिरिक्त है।

2.08. **कॉपीराइट कार्यालय:** प्रतिलिपि अधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकार के संवर्धन की योजना का उद्देश्य गतिशील ज्ञान आधारित समाज की उभरतीय चुनौतियों का सामना करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों में विश्व स्तरीय और विविध मानक संसाधन सृजित करना है। इस योजना का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के उत्पादन में सुधार लाने और बौद्धिक संपदा के आस्तियों का सृजन करने के लिए अपेक्षित कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, और इसका मिशन बहु विषयक दृष्टिकोण अपनाकर आईपी प्रबंध, प्रवर्तन जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में क्षमता और सामर्थ्य सृजित करना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के बाद इस योजना (आईपीआर पीठ संस्थान योजना के नए नाम में) इस योजना को राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुरूप संशोधित कर दिया गया है जिसमें संस्थानों में आईपी शिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है तथा आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन/अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

3.01. **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन:** संगठन की स्थापना लागत के लिए प्रावधान है जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 तथा इनके अंतर्गत बने अनेक नियमों का संचालन करता है। यह संगठन विस्फोटकों के विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, इस्तेमाल, परिवहन, आयात/निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। यह कार्यालय इन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मसलों पर सभी प्राधिकारियों को सलाह देता है तथा पुलिस, हवाई अड्डा सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विस्फोटक पहचानने में सघन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

3.02. **नमक आयुक्त:** यह संगठन उत्पादन लक्ष्यों तथा नमक के वितरण मूल्य निगरानी अभिरक्षा एवं विभागीय नमक भूमि की देखभाल, नमक के मानक तथा गुणवत्ता को बनाए रखने, नमक के निर्यात हेतु जिम्मेदार है तथा राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनडीडीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु एक मॉडल एजेंसी है। यह नमक उत्पादन तथा तर्कसंगत वितरण को विनियमित करती है जिसमें आयोडीनयुक्त नमक भी शामिल है यह नियमित रूप से नमक के मूल्य तथा इसकी उपलब्धता की निगरानी करता है। इसके बजट में संगठन के स्थापना प्रभार तथा विकास और कल्याण कार्य हेतु प्रावधान है।

3.03. **प्रशुल्क आयोग:** भारत सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 1997 को स्थापित आयोग के स्थापना खर्चों को पूरा करने के लिए।

3.04. **वांयलर सर्वेक्षण:** बायलर सर्वेक्षण हेतु अनुसंधान अध्ययन के लिए प्रावधान है।

4. **भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी):** भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य चमड़ा इकाइयों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन करके कच्ची सामग्री के आधार को बढ़ाना, पर्यावरण चिंताओं को दूर करना और मानव संसाधन विकास पर ध्यान देना, पारंपरिक चमड़ा कारीगरों को सहायता देना, अवसंरचना संबंधी बाधाओं का समाधान और सांस्थानिक सुविधाओं की स्थापना करना है।

5. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम:** औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए गुणतापरक अवसंरचना उपलब्ध कराकर उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। चुनिंदा कार्यात्मक कलस्टरों में अवसरंचना विकास राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जायेगा।

7. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एन आई सी डी आई टी):** राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास प्राधिकरण (एनआईसीडीए), केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो संबंधित राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में भारत सरकार द्वारा पहचाने गए औद्योगिक/आर्थिक गलियारों के नियोजन, विकास और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नई संस्था की स्थापना के लिए तथा अनुदान सहायता के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय पुणे में है और यह औद्योगिक गलियारों के विकास में समन्वय कार्य करने के लिए स्थापित किया जा रहा है जहां स्मार्ट शहरों को परिवहन संपर्क मुहैया कराया जाएगा और जो विनिर्माण और शहरीकरण में भारत के विकास को प्रेरित करने वाली कार्यनीति की बुनियाद होंगे।

8. **अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना:** उत्तर और पूर्वी भारत के सघन जनसंख्या वाले राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर (एकेआईसी) बनाया गया। एकेआईसी को ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (ईडीएफसी) के चारों ओर तथा इस मार्ग परमौजूदा राजमार्ग के मुख्य आधार के रूप में तैयार किया जाएगा।

10. **प्रदर्शनी-सह-सममेलन केन्द्र, द्वारका:** प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र को द्वारका नई दिल्ली में स्थापित किया जाना है, इसे देश में वैश्विक प्रदर्शनी और सम्मेलनों को आकर्षित करने वाले प्रमुख केन्द्र के रूप में परिकल्पित किया गया है।

11. **निवेश संवर्धन हेतु योजना:** विभाग ने 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की है जो निवेश गंतव्य और विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की छवि उभारने के लिए विश्व स्तर पर किया गया संवर्धन अभियान है। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है तथा भारत को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करना है जिसकी कार्यबल, अवसंरचना, कच्चे माल और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में अपार क्षमता है। अन्य बातों के साथ-साथ डीआईपीपी अन्य कार्यकलाप भी करता है जैसे निवेश संवर्धन की योजना के तहत विदेश स्थित भारतीय मिशनों को निवेशकों के लिए सुविधाएं, निवेशक आउटरीच, मीडिया प्रसार और सहायता भी देता है।

12. **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित तथा इस विभाग द्वारा दिनांक 04 नवम्बर, 2011 के प्रेस नोट द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) को कार्यान्वित करना है। राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) की स्थापना इस नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित निधि एनआईएमजेड के मास्टर प्लानिंग की लागत के खर्चे पूरे किए जाएंगे।

13. **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ई-बिज परियोजना):** ई-बिज मिशन मोड परियोजना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत 31 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक परियोजना के रूप में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की सभी व्यवसाय तथा निवेश संबंधी विनियामक सेवाओं को एक एकल पोर्टल पर उपलब्ध कराकर, अनेक कार्यालयों में जाने अथवा अनेक वेबसाइटों पर जाने की निवेशकों अथवा व्यवसायियों की जरूरत को समाप्त करते हुए भारत में एक निवेशक अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण करना है।

16. **स्टार्ट-अप इंडिया:** स्टार्टअप इंडिया नामक पहल का उद्देश्य एक ऐसा अर्थतंत्र सृजित करके उद्यमिता को बढ़ावा देना और नवोन्मेष का संवर्धन करना है जो स्टार्टअप के विकास के अनुकूल हो। यह पहल भारत के आर्थिक परिदृश्य में उद्यमिता के ढांचे को प्रेरणा देगा जो लंबे समय से नहीं मिली। इस कार्ययोजना के तहत 19 कार्य मदें हैं जो सरलीकरण और सहायता देने, वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देने एवं उद्योग-शैक्षणिक भागीदारी एवं इनक्यूबेशन जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़ी हैं।

18. **पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संर्वधन नीति (एनईआईपीपी):** पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति, 2007 में पूर्वोत्तर भारत में निवेशकों के लिए अनेक वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। एनईआईआईपीपी, 2007 के प्रावधानों में, समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगीकरण को गति प्रदान करने के लिए अपेक्षित प्रोत्साहनों के साथ-साथ समर्थकारी वातावरण की व्यवस्था है। सभी औद्योगिक इकाइयों, नई तथा पूर्वोत्तर में मौजूदा इकाइयों को उनके पर्याप्त विस्तार पर मिलने वाले प्रमुख प्रोत्साहन हैं: मूल्य संवर्धन मानकों पर औद्योगिक उत्पाद शुल्कों में छूट,आयकर में 100 प्रतिशत छूट, निवेश की अधिकतम सीमा के बिना संयंत्र एवं मशीनरी में 30 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता।

19. **परिवहन/ माल परिवहन राजसहायता योजना:** स्कीम के अंतर्गत , सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू एवं काश्मीर के हिमालय क्षेत्र के राज्यों, पश्चिम बंगाल का दार्जलिंग जिला, अण्डमान एवं नीकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम्य क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए परिवहन सब्सिडी दी जाती है।

20. **विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज:** यह पैकेज जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की औद्योगिक विकास की योजना के लिए है ताकि इन राज्यों में औद्योगिक विकास की गति में तेजी लाई जा सके।

21. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्यौगिक इकाइयों को ब्याज राजसहायता:** आंध्र प्रदेश औरतेलंगाना में औद्योगिक यूनिटों को ब्याज सब्सिडी देने के लिए प्रावधान किया गया है।

22. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक यूनिटों को केंद्रीय और समेकित जीएसटी की वापसी के लिए है।

23.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** इसके अंतर्गत स्वायत्त संस्थाओं के अर्थात भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबर विनिर्माण अनुसंधान संघ एवं राष्ट्रीय उत्पादकता परिष्ाद को परियोजना आधारित सहायता दी जाती है।

23.02. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन:** यह प्रावधान डब्ल्यूआईपीओ में भारत की सदस्यता के अंशदान के प्रति है।

23.03. **एशिया उत्पादकता संगठन /संंयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** यह प्रावधान एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत की सदस्यता के अंशदान के प्रति है।

23.04. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इसके अंतर्गत परियोजना आधारित सहायता स्वायत्त संस्थानों को दी जाती है नामत: राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, सीमेंट उद्योग विकास परिषद, कागज, लुग्दी और सहबद्ध उद्योग विकास परिषद तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद।